

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसंबर, 2018

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, सारणी में, शीर्षक (ख) गैर-विनियमित क्षेत्रों के अधीन,-

- (i) क्रम संख्या 7 में "प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी जहाज या वस्तुओं के संबंध में बंदरगाह द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं" शब्दों के लिए "महापतन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के तहत प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी जहाज या वस्तुओं के संबंध में बंदरगाह के लिए प्रदान की जा रही सेवाएं" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ii) क्रम सं. 8 'विमानपत्तनों द्वारा' शब्दों के स्थान पर 'विमानपत्तनों पर' शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) क्रम संख्या 13 में, '8608' प्रविष्टि के बाद '8609' प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी;
- (iv) क्रम संख्या 19 में, '5303' प्रविष्टि के बाद '5307' प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी;
- (v) क्रम संख्या 28 में, 'कागज' शब्द के लिए 'लुगदी और कागज' शब्द रखे जाएंगे तथा '4801 से 4802' प्रविष्टि से पहले '4701 से 4704' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
- (vi) क्रम संख्या 29 में, '5303' प्रविष्टि के बाद '5307' प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी;
- (vii) क्रम संख्या 33 में, बिंदु सं. (xiii) में, 'डेफ्लोबिलेटर' शब्द के लिए 'डेफिब्रिलेटरों' शब्द रखा जाएगा;

3. नियम 6 में, उप-नियम (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“परंतु कि जिन कंपनियों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के तहत वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अवधि बढ़ाने की अनुमति प्राप्त की है, वे कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के तहत वित्तीय विवरण दायर करने की परिणामस्वरूप बढ़ी हुई अवधि के भीतर प्ररूप सीआरए-4 में दायर कर सकती हैं।”।

4. मूल नियमों में, अनुलग्नक में,-

(i) प्ररूप सीआरए-1 में, पैरा संख्या 31 अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“31. मापने की इकाई (यूओएम)।

प्रत्येक सीमा शुल्क अधिनियम शीर्षक, जो भी लागू हो, के लिए मापने की इकाई (यूओएम) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) में विनिर्दिष्ट उस विशेष सीमा शुल्क अधिनियम शीर्षक के अनुसार समान होगी;

(ii) प्ररूप सीआरए-3 में, टिप्पण में, टिप्पण (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

“टिप्पण : (3) प्रत्येक सीमा शुल्क अधिनियम शीर्षक, जो भी लागू हो, के लिए मापने की इकाई (यूओएम) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) में विनिर्दिष्ट उस विशेष सीमा शुल्क अधिनियम शीर्षक के अनुसार समान होगा।”

[फा.सं. 1/40/2013-सीएल V भाग 1]

0/c श्री.बी.आर. मूर्ति
03/12/18
(के.वी.आर. मूर्ति),
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) में तारीख 30 जून, 2014 की सा.का.नि. संख्या 425(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् तारीख 31 दिसंबर, 2014 की सा.का.नि. संख्या 01(अ) और तारीख 12 जून, 2015 की सा.का.नि. संख्या 486(अ) तथा तारीख 14 जुलाई, 2016 की सा.का.नि. संख्या 695(अ) और तारीख 07 दिसंबर, 2017 की सा.का.नि. संख्या 1498(अ) और तारीख 20 दिसंबर, 2017 की सा.का.नि. संख्या 1526(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2018

G.S.R..... (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 and section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (cost records and audit) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Companies (cost records and audit) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the Principal Rules), in rule 3, in TABLE, under the heading (B) Non-regulated Sectors,-
 - (i) against Sl. No. 7 for the words “services rendered by a Port in relation to a vessel or goods regulated by the Tariff Authority for Major Ports” the words, figures and brackets “services rendered for a Port in relation to a vessel or goods regulated by the Tariff Authority for Major Ports under the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)”, shall be substituted;
 - (ii) against Sl. No. 8 for the words ‘by airports’ the words ‘at the airports’ shall be substituted;
 - (iii) against Sl. No. 13, after the entry ‘8608’, the entry ‘8609’ shall be inserted;
 - (iv) against Sl. No. 19, after the entry ‘5303’, the entry ‘5307’ shall be inserted;
 - (v) against Sl. No. 28, for the words ‘Paper’, the words ‘Pulp and Paper’ shall be substituted and before the entry ‘4801 to 4802’ the entry ‘4701 to 4704’ shall be inserted ;
 - (vi) against Sl. No. 29, after the entry ‘5303’, the entry ‘5307’ shall be inserted;
 - (vii) against Sl. No. 33, in point no. (xiii), for the word ‘deflobillator’ the word ‘defibrillators’ shall be substituted;

3. in rule 6, in sub-rule (6), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Companies which have got extension of time of holding Annual General Meeting under section 96 (1) of the Companies Act, 2013, may file form CRA-4 within resultant extended period of filing financial statements under section 137 of the Companies Act, 2013.”.

4. In the principal rules, in Annexure,-

(i) in Form CRA-1, paragraph number 31 shall be inserted, namely:-

“31. Unit of Measurement (UOM).

The Unit of Measurement (UOM) for each Customs Tariff Act Heading, wherever applicable, shall be the same as provided for in the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) corresponding to that particular Customs Tariff Act Heading.”;

(ii) in form CRA-3, in Note, Note (3) shall be added, namely:-

“Note (3) The Unit of Measurement (UOM) for each Customs Tariff Act Heading, wherever applicable, shall be the same as provided for in the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) corresponding to that particular Customs Tariff Act Heading.”

[F.No. 1/40/2013-CL-V Part 1]


K.V.R. MURTY,

Jt. Secy., Government of India

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 425 (E), dated the 30th June, 2014 and amended *vide* number G.S.R. 01(E), dated the 31st December, 2014 and *vide* number G.S.R. 486 (E), Dated the 12th June, 2015 and *vide* number G.S.R. 695 (E), dated the 14th July, 2016 and *vide* number G.S.R. 1498 (E), dated the 7th December, 2017 and *vide* number G.S.R. 1526 (E), dated the 20th December, 2017.